फैक्स/स्पीड पोस्ट

संचिका सं0-सी0/सी0आई0मिस0-4019/2016................/

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार

सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

सारण (छपरा)

पटना, दिनांक-..............................

विषयः- जिला पदाधिकारी, सारण को उनके पत्रांक-168मु0/सा0, दिनांक 11.08.2016 के आलोक में सारण जिला में दिनांक 06.08.2016 एवं उसके पश्चात् दो समुदायों के बीच उत्पन्न (साम्प्रदायिक) विवाद में प्रभावित व्यक्तियों की परिसम्पत्तियों की हुई क्षति के लिए अनुग्रह अनुदान स्वरूप याचित राशि कुल ₹ 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रू) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक-168मु0/सा0, दिनांक 11.08.2016 के आलोक में निम्नवत् राशि के आवंटन की स्वीकृति दी जाती हैः-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, सारण को पूर्व में आवंटित राशि।	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, सारण को वर्त्तमान में आवंटित राशि।	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, सारण को कुल आवंटित राशि।
शून्य	₹ 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रू) मात्र	₹ 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रू) मात्र

आदेशः- स्वीकृत।

2. उपरोक्त आवंटित राशि ₹ 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रू) मात्र बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या-22, उपशीर्ष -0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड सं0-एन 2235602000004, विषय शीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक-168मु0/सा0, दिनांक 11.08.2016 के आलोक में सारण जिला में दिनांक 06.08.2016 एवं उसके पश्चात् दो समुदायों के बीच उत्पन्न (साम्प्रदायिक) विवाद में प्रभावित व्यक्तियों की परिसम्पत्तियों की हुई क्षति के लिए अनुग्रह अनुदान स्वरूप याचित राशि कुल ₹25,00,000.00 (पच्चीस लाख रू) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है। इस राशि का किसी अन्य योजना के खर्च पर विचलन नहीं किया जाएगा। जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा **विभागीय संकल्प संख्या-8960, दिनांक 30.09.2013 के आलोक में अपने स्तर से अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति एवं उसके भुगतान संबंधी स्वीकृत्यादेश निर्गत कर उक्त राशि का भुगतान कराने की कार्रवाई की जाएगी।**

4. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सारण होंगे एवं राशि की निकासी जिला कोषागार, सारण से की जायेगी। वे राशि की निकासी के समय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-4989/बी (2), दिनांक-16.05.2013 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी, सारण की होगी।

6. जिला पदाधिकारी, सारण यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सारण जिला में दिनांक 06.08.2016 एवं उसके पश्चात् दो समुदायों के बीच उत्पन्न (साम्प्रदायिक) विवाद में प्रभावित व्यक्तियों की पहचान कर की गई है।

7. राशि का भुगतान केवल एकाउन्ट पेई चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा। यदि प्रभावित व्यक्तियों का बैंक खाता नहीं है, तो जिला पदाधिकारी, सारण भुगतान के पूर्व उनका बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

8. जिला पदाधिकारी, सारण का यह दायित्व होगा कि वे भुगतान की गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

9. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं हो सके, तो उसका प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4019/2016................/पटना,दिनांक...........................

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

स्पीड पोस्ट

फैक्स

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4019/2016................/पटना,दिनांक...........................

प्रतिलिपिः- प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सारण /वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4019/2016................/पटना,दिनांक...........................

प्रतिलिपिः- उप सचिव, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4019/2016....8022..../पटना,दिनांक....26.8.16....

प्रतिलिपिः- आई0टी0प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.08.16

सरकार के विशेष सचिव

SEC:C:MAHDRAFTS